जीसीएमएस नं. 2018/00068

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 22/2018

1. रामेश्वरी पत्नी स्व. श्री तुलसीराम, जाति नायक, निवासी वीपीओ दुलापुर केरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दुलीचंद आयु करीब 15 साल
3. दिनेश आयु करीब 13 साल
4. कर्ण कुमार आयु करीब 10 वर्ष

पितसरान तुलसीराम जाति नायक, निवासीयान दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाबालिगान जरिए माता व वलीया रामेश्वरी देवी

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रूपलाल पुत्र श्री रामलाल, जाति नायक, निवसी दुलापुर केरी तह0 व जिला श्रीगंगानगर ढाणी 4 डी बड़ी।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट

रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट जिसकी रूह से स्व. रामलाल पुत्र श्री शेराराम की वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 22.02.2017 प्रकरण संख्या 29/2016 में पारित किया गया बमुराद मन्सूखिया।

उपस्थित : श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
राजकीय अभिभाषक, रेस्पो0 2 स्टेट की ओर से

आदेश दिनांक : 23.12.2025

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटा संख्या 1 के ससूर स्व. रामलाल पुत्र श्री शेराराम के नाम से अन्यों के साथ संयुक्त खाता में चक 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/39 मुरबा नंबर 1 की 25 बीघा खातेदारी दर्ज थी, जिसमें स्व. रामलाल के नाम से 2.108 है. खातेदारी दर्ज थी। अपीलांटा संख्या 1 के ससूर व 2 ता 4 के दादा रामलाल पुत्र शेराराम का देहांत दिनांक 05.09.2013 को हुआ तथा अलीलांटा संख्या 1 के पति तथा 2ता4 के पिता का भी देहांत हो चुका है। रामलाल की उक्त आराजी के उसके दो पुत्र रूपलाल रेस्पों. संख्या1 व स्व. तुलसीराम पुत्र रामलाल वारिसान होने से स्व. तुलसाराम के 1/2 हिस्सा के अपीलांटस वारिस व हकदार है तथा स्व. रामलाल की उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा को अपनी खातेदारी घोषित करवाने व अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा उनके द्वारा इस संबंध में एक दावा सहायक जिलाधीश, फास्ट ट्रेक, श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

में पेश कर रखा है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। दावा में आगामी पेशी 20.04.2018 नियत है। अब रेस्पों. संख्या 1 के द्वारा फिर भी गलत तौर पर बेचान करने की कोशिश करने पर अपीलांटा संख्या 1 ने पटवारी हल्का से गत सप्ताह संपर्क कर पूछा तो उससे पता चला कि रेस्पों. 1 ने इंतकाल करवाने का आदेश जारी करवा लिया है अतः वह अकेला हकदार है। इस पर पता करने पर तहसीलदार व उप तहसीलदार हिंदूमलकोट से आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम होने पर नकल हासिल कर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है:-

1. अदालत मातहत के द्वारा ना तो अपीलांटस जो कि स्व. रामलाल के पुत्र तुलसाराम के जायज वारिस होने से वारिसान है को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया ना ही मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया जबकि अपीलांटस प्रभावित पक्षकार थे। अतः आदेश यकतरफा पारित किया गया है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की कोई पालना नहीं की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मंडल ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि बिना प्रभावित को सुने पारित हर आदेश हर प्रकार से निरस्तनीय होगा। अतः आदेश जैर अपील भी निरस्तनीय है।

2. यह कि रेस्पो. 1 ने जो गवाहान के साथ शपथ पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश किए हैं, जिनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल है के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट है कि यह कुटरचित है गवाह के हस्ताक्षर अ. काफी नीचे है जबकि बयान काफी उंचे है तथा इससे यह प्रकट होता है कि पहले हस्ता. अ. करवाकर बाद में लिखवाएं हैं। अतः वास्तव में ना तो गवाह हासीया अदालत मातहत में पेश हुए ना ही उनको बयान शपथ पत्र की वास्तव में कोई जानकारी ही रही है। मगर अदालत मातहत वाला ने इस पर गौर नहीं किया।

3. यह कि कथित वसीयत जिसके आधार पर इंतकाल करने का आदेश दिया गया है वह अपीलांटस को कतई स्वीकार नहीं है तथा वह विवादित है जबकि अपीलांटस का दावा पहले से ही सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर में चल रहा है तथा इसमें रेस्पोंडेंट भी पेश हो चुका है तो किसी प्रकार से अदालत के स्थगन आदेश होते हुए ना तो किसी प्रकार से इंतकाल करवाने की कार्यवाही की जा सकती थी ना ही आदेश जैर अपील पारित किया जा सकता था। इस प्रकार से न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना में ही पारित होने से भी निरस्तनीय है।

4. यह कि जिस भूमि के संबंध में इंतकाल का आदेश दिया गया है वह जद्दी जायदाद होने से ना तो स्व. रामलाल को वसीयत करने का कोई अधिकार था तथा ना ही वास्तव में उसने अपनी स्वेच्छा से कोई वसीयत की गई। कथित वसीयत दिनांक 25.05.2013 धोखे से अथवा किसी प्रकार के अन्डयू एन्फलुएंस से करवाई गई है वरना रामलाल की इच्छा कभी वसीयत करने की नहीं रही थी। क्योंकि रामलाल को अपने पुत्र तुलसाराम से भी उसी कदर स्नेह व प्यार था व अपीलांटस से भी रहा व उनके द्वारा भी सेवा की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

जायदाद रही है। अतः वह रेस्पो. अकेले के नाम से कभी वसीयत नहीं करना चाहता था ना ही ऐसा विचार रहा। रामलाल काफी वृद्ध था तथा बीमार रहता था तथा उसको अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं था इसी कारण उसकी इस अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर तथाकथित कूटरचित बनाई गई तथा हमारे अधिकारों पर कैअसर है।

5. यह कि अदालत मातहत को किसी वसीयत के बारे में जांच करने व इसके आधार पर इंतकाल करने का आदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वसीयत विवादित होने से केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय से ही जब तक प्रोबेट जारी नहीं करवाया जाता तब तक किसी प्रकार से इंतकाल जारी नहीं किया जा सकता था। अतः इंतकाल का आदेश बिना अधिकार खिलाफ कानून होने से भी निरस्तनीय है।

6. अदालत मातहत ने बिना कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया अपनाये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया। केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। जहां तक दैनिक समाचार पत्र में आपति सूचना प्रकाशित करवाने का कथन किया गया है तो प्रथम तो ऐसा समाचार पत्र हमारे यहां नहीं आता ना ही हमें किसी ने बताया ना ही किसी प्रकार से पता चला कि इंतकाल की कार्यवाही चल रही है। बिल्कुल यकतरफा तौर से ही समस्त कार्यवाही की गई है तथा कोई नोटिस हम प्रभावित अपीलांटस के नाम से ना तो जारी किया ना ही फर्दकाम में कहीं दर्ज किया है कि हमारे नाम से कोई नोटिस जारी किया गया है।

7. यह कि रेस्पों. 1 ने जानबूझकर अदालत मातहत को सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर के यहां चल रहे दावा व स्थगन आदेश के बारे में नहीं बताया। इस प्रकार से छिपाकर के आदेश पारित करवाया गया है जो कि निरस्तनीय है।

8. यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किए जाएंगे जिन के आधार पर अपील काबिल मंजूरी के है।

9. यह कि अपीलांटस को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः धारा 98 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की जा रही है।

10. यह कि अपीलांटस को गतसप्ताह जब रेस्पों. 1 भूमि बेचने के लिए दिखाने लगा तो पटवारी हल्का से संपर्क करने पर सर्वप्रथम पता चला कि रेस्पों. 1 ने वसीयत के आधार पर इंतकाल का आदेश करवाया हुआ है। इस पर नायब तहसीलदार हिंदुमलकोट से पता करने पर आदेश जैर अपील की जानकारी होने पर नकल हासिल कर जो कि 02.04.18 को मिली। बिना किसी देरी के इल्म से अंदर मियाद पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र धारा 5 एक्ट मियाद मय शपथ पत्र शामिल है।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल का आदेश अदालत मातहत निरस्त करने तथा सुनवाई करके कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावे, जिससे कि अपीलांटस अपना पक्ष व समस्त तथ्य सामने ला सके।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट संख्या 1 के ससुर स्व रामलाल पुत्र श्री शेराराम के नाम से अन्यों के साथ संयुक्त खाता में चक 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/39 मुरबा नंबर 1 की 25 बीघा खातेदारी दर्ज थी, जिसमें स्व. रामलाल के नाम से 2.108 है. खातेदारी दर्ज थी। अदालत मातहत के द्वारा ना तो अपीलांटस जो कि स्व. रामलाल के पुत्र तुलसाराम के जायज वारिस होने से वारिसान है को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया ना ही मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया जबकि अपीलांटस प्रभावित पक्षकार थे। जिस भूमि के संबंध में इंतकाल का आदेश दिया गया है वह जददी जायदाद होने से ना तो स्व. रामलाल को वसीयत करने का कोई अधिकार था तथा ना ही वास्तव में उसने अपनी स्वेच्छा से कोई वसीयत की गई। कथित वसीयत दिनांक 25.05.2013 धोखे से अथवा किसी प्रकार के अन्डयू एन्फलुएंस से करवाई गई है वरना रामलाल की इच्छा कभी वसीयत करने की नहीं रही थी। अदालत मातहत को किसी वसीयत के बारे में जांच करने व इसके आधार पर इंतकाल करने का आदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वसीयत विवादित होने से केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय से ही जब तक प्रोबेट जारी नहीं करवाया जाता तब तक किसी प्रकार से इंतकाल जारी नहीं किया जा सकता था। अतः इंतकाल का आदेश बिना अधिकार खिलाफ कानून होने से भी निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो. संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्व वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना की गई है। सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र प्रकाशित करवाया गया है। वसीयत जिला पंजीयक द्वारा पंजीबद्व है। अपीलार्थीगण यदि पंजीबद्व वसीयत से व्यथित हैं तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश विधिसम्मत है। अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलकृत आदेश दिनांक 22.02.2017 जिसके द्वारा वसीयत जो जिला पंजीयक द्वारा पंजीबद्व है, के आधार पर नामान्तरण करने के आदेश दिये गये हैं, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटस ने अपीलकृत आदेश दिनांक 22.02.2017 के विरूद्ध अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अपीलांटस जो कि स्व. रामलाल के पुत्र तुलसाराम के जायज वारिस होने से वारिसान है, को ना तो कोई नोटिस जारी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

किया गया, ना ही मिला, ना ही बुलाया, ना ही सुना गया जबकि अपीलांटस प्रभावित पक्षकार थे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि उपतहसीलदार, हिंदूमलकोट का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं है, क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांटांन को सुनवाई का विधि सम्मत् अवसर प्रदान किये गये बिना आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक के सभी वैध वारिसान को बाकायदा नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर वसीयतकर्ता रामलाल पुत्र शेराराम जाति नायक के वारिसान को तलब करने हेतु कोई नाटिस जारी नहीं किया, बल्कि प्रार्थी को केवल सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने हेतु पाबंद किया गया। ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता रामलाल पुत्र शेराराम जाति नायक के जायज वारिसान को समूचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपतहसीलदार, हिंदुमलकोट का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपतहसीलदार, हिन्दुमलकोट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए निष्पक्ष एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner